//

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3032—एक / 14 जिला — विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.1.15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण नामांतरण का होकर विकयपत्र के आधार पर नामांतरण की मांग की गई और प्रकरण में एक आवेदन धारा 32 के अंतर्गत दिया गया जिसमें यह बताया गया कि व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रकरण चल रहा है अतः प्रकरण को स्थगित रखा जाये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन उसके अनुपस्थित रहने के कारण अस्वीकार किया गया है तथा उनका साक्ष्य का अवसर इस आधार पर समाप्त किया गया है कि उन्हें अनेक अवसर दिए गए हैं परंतु उनके द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गई है । व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में कोई आदेश पारित किया गया है, इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । परिणामतः यह निगरानी अग्राहय की जाती है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (हस्ताक्षर) सदस्य	

10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय अध्यक्ष/सदस्य म0प्र0राजस्व मण्डल

ग्वालियर सर्किट केम्प भोपाल.

R-3032-~~I~~/14 निगरानी कमॉक- /2014

R-3032-I/14

श्रीमति सिया बाई विधवा दौलतराम
निवासी-ग्राम पामाखेडी तहसील सिरोंज
जिला विदिशा म0प्र0 द्वारा:- मुख्तारआम
नीरज श्रीवास्तव आ0 शिवचरण निवासी-
ग्राम पामाखेडी तहसील सिरोज जिला विदिशा .... आवेदक

विरूद्ध

महेश साहू आ0. सुखलाल
आयु-42 वर्ष व्यवसाय- कृषि
निवासी- ग्राम पामाखेडी तहसील सिरोंज
जिला विदिशा म0प्र0 .... अनावेदक

श्री अनोजगुप्ता अभिभावक द्वारा आज दिनांक 27-8-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 27-8-14

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से विद्वान तहसीलदार तहसील सिरोंज जिला विदिशा के द्वारा राजस्व अपील प्रकरण कमॉक-03/अ-6/13-14 में पारित आदेश दिनांक-31-07-2014 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है ।

Anis

प्रकरण के तथ्य

30-8-14

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा माननीय तहसीलदार तहसील सिरोंज जिला विदिशा के समक्ष भू-राजस्व संहिता की धारा-109 110 के अन्तर्गत एक आवेदन पपत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पामाखेडी स्थित भूमि खसरा कमॉक-290 रकबा 0. 317 हेक्टेयर भूमि आवेदिका श्रीमति सियाबाई के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। तथा दिनॉक-26-12-2013 को एक रजिस्र्टड विकय पत्र के द्वारा आवेदिका उक्त भूमि में से 0.151 हेक्टेयर भूमि अनावेदक को विकय कर दी है। विकय पत्र के आधार पर अनावेदक का उक्त भूमि पर नामांतरण किया जाये।

यह कि अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने प्रकरण को पंजीबद्ध करते हुये विधिवत कार्यवाही प्रारंभ की तथा प्रकरण के लंबित रहते अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनॉक-26-07-2014 को अधिनस्थ न्यायालय